**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1083**

**दिनांक 19 दिसम्‍बर, 2018**

**पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण तंत्र**

**1083. श्री सैयद नासिर हुसैनः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के निर्धारण के लिए मापदण्ड/नीति के साथ पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कीमतों में वृद्धि/कमी के साथ पेट्रोल, डीज़ल, सी एन जी, एलपीजी, एटीएफ तथा किरोसीन सहित उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों का ब्यौरा क्या है और पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी, सी एन जी, एटीएफ तथा किरोसीन इत्यादि सहित उपभोक्ताओं को अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कम हुई कीमतों के पूर्ण लाभ नहीं प्रदान करने के उत्पाद-वार कारण क्या हैं और गरीबों तथा अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क)और (ख): सरकार ने एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पेट्रोल और डीजल के मूल्‍यों को क्रमश: दिनांक 01 अप्रैल, 2001, 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कं‍पनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्‍ट्रीय उत्पाद मूल्‍यों तथा अन्‍य बाजार दशाओं के अनुसार इन उत्‍पादों के मूल्‍य निर्धारण के संबंध में उपयुक्‍त निर्णय लेती हैं। सरकार राजसहायता प्राप्‍त घरेलू एलपीजी के लिए ग्राहकों के लिए प्रभावी मूल्‍य और पीडीएस मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्‍य को आवश्‍यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। पेट्रोलियम उत्‍पादों के मूल्यों में संशोधन के ब्‍यौरे पेट्रोलियम यो‍जना और विश्लेषण प्रकोष्‍ठ (पीपीएसी) की वेबसाइट अर्थात [www.ppac.org.in](http://www.ppac.org.in/" \t "_blank) पर उपलब्‍ध है।

पेट्रोलियम उत्‍पादों के मूल्य अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में संबंधित उत्‍पादों के मूल्‍य से जुड़े हुए हैं और कच्चे तेल के मूल्‍यों से जुड़े हुए नहीं है। तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्‍ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनिमय दर, कर संरचना, अंतर्देशीय भाड़ा और अन्य लागत घटकों सहित विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करने के पश्‍चात खुदरा बिक्री मूल्‍य के संबंध में निर्णय लेती हैं।

जहां तक सीएनजी का संबंध है सीएनजी के मूल्‍य का निर्धारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा विशेष भौगोलिक क्षेत्र (जीए) में प्राधिकृत संबंधित सीजीडी कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीजीडी कंपनियां प्राकृतिक गैस की अधिप्राप्ति की भारित औसत लागत, प्रचालन व्‍यय, मुद्रा विनियम दर परिवर्तन और लागू करों और शुल्‍कों आदि के आधार पर सीएनजी का खुदरा बिक्री मूल्‍य तय करती हैं। इन में से किसी घटक में अंतर से सीएनजी के खुदरा बिक्री मूल्‍य में यथोचित परिवर्तन हो जाता है। घरेलू गैस (पीएमटी आपूर्ति को छोड़कर) जिसकी सीएनजी (परिवहन) क्षेत्र में आगे के वितरण के लिए सीजीडीज को आपूर्ति की जाती है,  के बुनियादी मूल्‍य का निर्धारण नए घरेलू गैस मूल्‍य निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश, 2014 के अनुसार किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में छमाही आधार पर संशोधित घरेलू गैस मूल्‍यों के ब्‍यौरे निम्‍नानुसार हैं:-

|  |  |
| --- | --- |
| **अवधि** | **घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्‍य (अमरीकी डॉलर/एमएमबीटीयू), जीसीवी आधारित** |
| 01.10.2015 से 31.03.2016 | 3.82 |
| 01.04.2016 से 30.09.2016 | 3.06 |
| 01.10.2016 से 31.03.2017 | 2.50 |
| 01.04.2017 से 30.09.2017 | 2.48 |
| 01.10.2017 से 31.03.2018 | 2.89 |
| 01.04.2018 से 30.09.2018 | 3.06 |
| 01.10.2018 से 31.03.2019 | 3.36 |

\*\*\*\*